हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

वार्षिक

प्रशासनिक रिपोर्ट

2010—2011

श्रम एवं रोज़गार विभाग की वित्त वर्ष 2010–2011 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय–1

परिचय

श्रम एवं रोज़गार विभाग, वर्ष 1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है–तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आशावादी लोगों की सेवा में दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग में मुख्यतः तीन खण्ड–श्रम, कारखाना एवं रोज़गार है। श्रम खण्ड का मुख्य कार्य, श्रम कानूनों, जिनकी संख्या 30 (केन्द्रीय एवं राज्य) है, को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना तथा नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के मध्य शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में योगदान करना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय एंव औद्योगिक अधिकरणों में दो पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय शिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

रोज़गार शाखा का मुख्य कार्य हिमाचल प्रदेश में रोज़गार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण, मार्गदर्शन तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के समक्ष नाम सम्प्रेषित करना एवं मार्गदर्शन देना इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम 1960 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2010–2011 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा, बजट विवरण एंव सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित सूचना इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दी गयी है।

	विषय सूचि	पृष्ठ
1. अध्याय–1	परिचय	1
2. अध्याय–2	संगठनात्मक ढांचा	4–7
3. अध्याय–3	श्रम तथा श्रम कल्याण	8–19
4. अध्याय–4	रोज़गार खण्ड	20–25
5.	बजट/वास्तविक खर्च वर्ष 2010–11	26–27
6.	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की अधिसूचना दिनांक 10–4–2007	28–33
7.	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के कार्यालय आदेश दिनांक 21–2–2007	34–44

अध्याय–2

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा

श्रम एवं रोज़गार विभाग माननीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री की देख रेख में कार्य करता है जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार), तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोज़गार) द्वारा सहयोग दिया जाता है ।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार ''विभागाध्यक्ष'' के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित हैः–

1.(क) निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार की देखरेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप–श्रमायुक्त तथा श्रम–निरीक्षक (मुख्यालय) द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत श्रमायुक्त ''मुख्य कारखाना निरीक्षक'' घोषित किये गये हैं तथा संयुक्त–श्रमायुक्त ''अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक'' एंव उप–श्रमायुक्त ''उप मुख्य कारखाना निरीक्षक'' घोषित किये गये हैं।

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में कारखाना अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिये दो उप निदेशक कारखाना के पद सृजित हैं। जिनमें से एक शिमला में तथा एक ऊना में स्वीकृत है। एक पद सहायक निदेशक (कारखाना) रसायन का रिक्त है।

इन का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित हैः–

1. <u>उप निदेशक कारखाना–शिमला</u>
   जिला–शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन (बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ के औद्योगिक क्षेत्र को छोडकर)।

2. <u>उप निदेशक कारखाना, ऊना</u>
   जिला–कांगडा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लु, लाहौल–स्पीति व सिरमौर तथा बद्दी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र।
   उप निदेशक (कारखाना), शिमला, निदेशालय का कार्य जो कि कारखाना विंग से सम्बन्धित है, भी देख रहे हैं।

(ग) इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोज़गार से सम्बन्धित कार्य–कलापों के लिये श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार की देख रेख में उप–निदेशक रोज़गार, रोज़गार बाजार सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी (स्थापना) विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु), राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन अधिकारी तथा रोज़गार अधिकारी (केन्द्रीय रोज़गार कक्ष) आवेदकों को रोज़गार सहायता उपलब्ध करवाने तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सहायता करते हैं।

2. <u>श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण</u>ः

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं। श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. श्रम अधिकारी, शिमला	उप–मण्डल शिमला (शहरी एंव ग्रामीण), उप मण्डल चौपाल एंव ठियोग तहसील
2. श्रम अधिकारी, रामपुर	रामपुर, रोहडू तथा डोडरा–क्वार उप–मण्डल तथा

	कुमारसैन तहसील जिला शिमला तथा उप–मण्डल आनी जिला कुल्लू
3. श्रम अधिकारी, सोलन	उप–मण्डल सोलन, कण्डाघाट, अर्की तथा कसौली तहसील (बद्दी–बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोडकर)
4. श्रम अधिकारी, बद्दी	तहसील नालागढ़ तथा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला
5. श्रम अधिकारी, नाहन	श्जला सिरमौर
6. श्रम अधिकारी, मण्डी	श्जला मण्डी
7. श्रम अधिकारी, कुल्लु	श्जला कुल्लु, (उप–मण्डल आनी को छोड़कर) उदयपुर तथा केलांग उप–मण्डल
8. श्रम अधिकारी, किन्नौर	श्जला किन्नौर व उप मण्डल काजा
9. श्रम अधिकारी, धर्मशाला	श्जला कांगडा
10. श्रम अधिकारी, चम्बा	श्जला चम्बा
11. श्रम अधिकारी, बिलासपुर	श्जला बिलासपुर एवं हमीरपुर
12. श्रम अधिकारी, ऊना	श्जला ऊना

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत प्रदेश को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से दो खण्डों का मुख्यालय शिमला में स्थापित है जबकि तीसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है ।

(ग) रोज़गार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोज़गार कार्यालय तथा 55 उप–रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :–

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1.	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला	कुमारसैन, मशोबरा, ठियोग, रामपुर–बुशैहर, रोहडू, जुब्बल, सुन्नी, चौपाल, चिड़गांव, डोडराक्वार तथा कुपवी।
2.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, मण्डी	सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, तथा गोहर।
3.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, धर्मशाला	पालमपुर, ज्वाली, नुरपुर, लम्बागांव, नगरोटा सूरियॉ, बैजनाथ, इन्दौरा, बडोह, देहरा, फतेहपुर एवं डाडासीबा ।
4.	विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला एवं पालमपुर	इन कार्यालयों के अधीन कोई कार्यालय नहीं है ।
5.	जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा एवं सलूणी स्थित सुन्डला ।
6.	जिला रोज़गार कार्यालय, हमीरपुर	नदौन, भौरंज, बडसर एवं सुजानपुर।
7.	जिला रोज़गार कार्यालय, बिलासपुर	घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी
8.	जिला रोज़गार कार्यालय, कुल्लु	बंजार एवं आनी
9.	जिला रोज़गार कार्यालय, सोलन	नालागढ, अर्की एवं कसौली
10.	जिला रोज़गार	पांवटा–साहिब, राजगढ़, शिलाई, संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ

कार्यालय, नाहन

11. जिला रोज़गार काज़ा एवं उदयपुर कार्यालय, केलॉग

12. जिला रोज़गार पूह एवं निचार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पीओ

13. जिला रोज़गार अम्ब कार्यालय, ऊना

3. वर्ष 2010–2011 में श्रम एवं रोजगार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/ नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरणः

सेवानिवृत्तियों का ब्यौरा :

क्रमांक	सेवानिवृत्त कर्मचारी की संख्या	पद/ श्रेणी
1.	2	प्रथम श्रेणी
2.	4	द्वितीय श्रेणी
3.	3	तृतीय श्रेणी
4.	3	चतुर्थ श्रेणी

सरकार की अनुमति से हुई नई नियुक्तियों का ब्यौराः

क्रमांक	नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की संख्या	पद/ श्रेणी
1.	1	लिपिक अनुबन्ध आधार पर
2.	1	स्टैनो टाईपिस्ट

पदोन्नतियों का ब्यौराः

क्रमांक	पदोनतियों की संख्या	पद/श्रेणी
1.	1	संयुक्त श्रमायुक्त
2.	2	संख्यिकीय सहायक
3.	5	वरिष्ठ सहायक
4.	3	श्रम निरीक्षक

4. श्रम एवं रोज़गार विभाग में सृजित एवं भरे हुये पदों का ब्यौराः

श्रम एवं रोज़गार विभाग में कुल 421 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 133 पद रिक्त है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार (भा॰प्र॰से॰)	1	–
2.	पीठासीन अधिकारी	2	–
3.	संयुक्त श्रमायुक्त	1	–
4.	उप श्रमायुक्त	1	–
5.	उप निदेशक रोज़गार	1	–
6.	उप निदेशक कारखाना	2	-
7.	सहायक निदेशक कारखाना (रसायन)	1	1
8.	श्रम अधिकारी	12	1
9.	विधि अधिकारी	1	1
10.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	–
11.	श्रम निरीक्षक	33	6
12.	चालक	5	–
13.	क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी	8	8
14.	जिला रोज़गार अधिकारी	10	1
15.	रोज़गार अधिकारी	12	3
16.	अधीक्षक ग्रेड–I	1	–
17.	अधीक्षक ग्रेड–II	12	2
18.	निजि सहायक	1	–
19	सांख्यकीय सहायक	14	2
20.	वरिष्ठ सहायक	62	6
21.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	–
22.	आशुटंकक	4	1
23.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	128	75
24.	दफ्तरी	4	1
25.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर	1	–
26.	चौकीदार	12	5
27.	चपड़ासी	83	17
28.	सफाई कर्मचारी	5	3
29.	फ्राश	1	–
	जोड़	421	133

अध्याय–3

श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों को सुविधा के लिये दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोज़गार खण्ड में इस खण्ड की गतिविधियां हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

श्रम खण्ड

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य 28 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों को प्रदेश में लागू करना है। इन श्रम कानूनों में कारखानों, विभिन्न संस्थानों एंव विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के विस्तृत रूप में प्रावधान किये गये हैं। इन कारखानों/संस्थानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, गुणवत्ता, उत्पादकता को सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में विकास/उन्नति सुनिश्चित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। कामगारों को सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, बाल श्रमिक एंव बन्धुआ मज़दूरी पर रोक लगे, इस सम्बन्ध में भी प्रावधान है। इन सबको सुनिश्चित करने के लिये श्रम विभाग के अधिकारी एंव निरीक्षक समय समय पर निरीक्षण करते हैं, अवहेलना करने वालों के विरूद्व सक्षम न्यायालयों में अभियोग चलाये जाते हैं। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये कामगारों एंव संस्थान मालिकों/प्रबन्धकों के मध्य हस्ताक्षेप करते हैं एंव उचित परामर्श देते हैं तथा जो भी शिकायतें विभिन्न स्तर पर प्राप्त होती हैं उनका निवारण भी करते हैं। श्रम खण्ड में ही कारखाना शाखा भी है, जिसके द्वारा कारखाना अधिनियम,1948 एंव उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के अर्न्तगत कारखानों का पंजीकरण, पंजीकरण का नवींकरण और कामगारों की सुरक्षा, दुर्घटनायें रोकने और उनकी सेवा शर्तों का कार्यान्वयन, सुनिश्चित किया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या वर्तमान में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुकी है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती,जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी (परियोजना) रामपुर बुशैहर और श्रम अधिकारी बद्दी को भी अपने–अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी समझौता अधिकारी के रूप में औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप–श्रमायुक्त/संयुक्त–श्रमायुक्त और श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को निपटाने में हस्ताक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अर्न्तगत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार हों उन संस्थानों द्वारा वर्कस कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। यह वर्कस कमेटियॉं भी औद्योगिक शान्ति बनाने में काफी सहायक सिद्ध होती है। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वर्ष 2010–2011 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है ।

31.3.2011 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	3,967	2,47,384
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	112	7437
3.	ट्रेड यूनियनज अधिनियम,1926	1,178	3,604
4.	प्लान्टेशन अधिनियम, 1951	19	619
5.	अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम,1979 (क) प्रमुख नियोक्ता	247	21,224
6.	(ख) ठेकेदार	196	7,202
7.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (क) प्रमुख नियोक्ता	1,220	1,46,637
	(ख) ठेकेदार	5,621	1,54,895
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	3181	1,94,718
9.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952	6918	5,16,215

सांख्यकीय रचनायें

श्रम खण्ड की 31–3–2011 तक की उपलब्धियों/कार्यों का ब्यौरा नीचे दी गई तालिकों पर वार्णित है।

विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों की उल्लघंना पाये जाने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान दायर किये गये जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

तालिका–1

क्रमांक	अधिनियम का नाम	1.4.2010 से 31.3.2011 तक किये गये निरीक्षण की संख्या	न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि (रूपये)
1	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	6,346	779	396	2,05,400
2	वेतन भुगतान अधिनियम,1936	3,211	210	83	1,42,600
3	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	3,380	216	108	73,100
4	कारखाना अधिनियम,1948	1,410	67	28	1,88,000
5	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज़ अधिनियम,1961	17	4	3	2,500
6	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	813	118	78	62,500

7	समान वेतन अधिनियम, 1976				
	229	0	0	0	
8	उपादान भुगतान अधिनियम,1972				
	780	1	1	18,000	
9	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965				
	657	3	0	0	
10	प्रसूति लाभ अधिनियम,1961				
	277	0	1	बरी किया गया	
11	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय आक्स्मिक एवं बीमारी अवकाश) अधिनियम,1969				
	930	6	3	500	
12	अर्न्तराज्य प्रवासी सेवा कर्मकार अधिनियम,1979				
	134	24	13	31,000	
13	बाल श्रमिक (निषेद्ध) अधिनियम,1986				
	2,643	6	1	बरी किया गया	
14	औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946				
	299	1	0	0	
15	भवन एंव अन्य सनिर्माण कामगार अधिनियम,1996				
	459	51	12	0	
16	चाय बागान अधिनियम,1951				
	7	0	0	17,000	
	कुल	**21,592**	**1,486**	**727**	**7,40,600**

तालिका–2

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पिछले अनिर्णित मामले	31.3.11 तक प्राप्त मामले	कुल मामलों की संख्या (खाना संख्या 3 एंव 4)	31.3.11 तक निर्णित मामलों की संख्या	31.3.2011 को अनिर्णित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनकी ऐपीलेंट आथोरिटी के पास अपील
	उपादान अदायगी अधिनियम,1972						
1.	2.	3.	4.	5..	6.	7.	8.
(i)	नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निपटाये गये मामलों का ब्यौरा	88	53	141	53	88	2
(ii)	एपीलैन्ट अथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्यौरा	9	2	11	0	11	Under Legal Process.

तालिका–3

क्रमांक	31.3.2010 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1.4.2010 से 31.3.2011 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	कुल मांग पत्रों की संख्या(खाना संख्या 3 व 4)	समझोते के दौरान धारा 12(3)के तहत निपटाये गये माम पत्र	विवादों / मांग पत्रों की संख्या जो 12(4) के अधीन भेजे गये	31 मार्च 2011 को लम्बित मांग पत्र	उद्योगों की संख्या	कामगारों की संख्या
1. अधिनियम का नाम औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947	1,413	1,337	2,750	447	1,012	1,291	710	3,082

तालिका–4

1	अधिनियम का नाम औद्योगिक रोजगार(स्टैंडिंग आर्रडर्ज़) अधिनियम,1946

अधिनियम के तहत आने वाले संस्थान	अधिनियम के तहत आने वाले संस्थानों में से स्टैंडिंग आर्रडर्ज़ जिन्हें प्रमाणित करवा लिया गया
1,713	265

तालिका–5

दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969

अधिनियम का नाम	अधिनियम के अधीन बाज़ारों की संख्या	31.3.2011 के अन्त में दुकानों की संख्या	कामगारों की संख्या	31.3.11 के अन्त में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या	कुल संस्थानों की संख्या	कुल कामगारों की संख्या
दुकान एंव वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	99 (दो राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाज़ार)	51,999	18,727	15,201	16,712	67,200	35,439

तालिका–6

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2010 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1.4.2010 से 31.3.2011 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल शिकायतें	श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा दिलाई गई धनराशि	सम्बन्धित कामगारों की संख्या	31.3.2011 को अनिर्णत मामलों की संख्या
1	वेतन भुगतान अधिनियम,1936	252	695	947	709	36,93,969	673	238
2	हि0प्र० दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	4	12	16	8	13,700	10	8
3.	हि०प्र० लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	41	72	113	73	46,36,032	449	40
4	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	0	1	1	1	54,326	21	0

तालिका–7

कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 तक किये गये कार्य का विवरण

31.3.2010 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	1.4.2010 से 31.3. 2011 तक पंजीकृत नये कारखानों की संख्या	31.3.2011 को कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या	31.3.2011 तक कुल पंजीकृत कारखानों में कामगारों की संख्या	1.4.2010 से 31.3.2011 तक पंजीकरण प्रमाण पत्रों के नवीकरण की संख्या
3,853	114	3,967	2,47,384	2,426

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भिन्न–भिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये तथा कामगारों के रक्षा हितों के लिये निम्नलिखित बोर्ड और समितियों का समय–समय पर गठन किया जाता है।

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड / समिति का	गठन का उद्देश्य

		नाम	
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/ निर्धारण के बारे में सरकार को परामर्श देना।
2	समान परिश्रमिक अधिनियम,1976	सलाहकार समिति	स्त्रियों को रोजगार अवसरों तथा लिंग के आधार पर वेतन विसंगतियों को दूर करने बारे सरकार को परामर्श देना।
3	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्वति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, व जहां रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनयम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सरकार को देना।
4	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य ठेका सलाहकार समिति	समिति द्वारा ठेका उन्मूलन बारे जांच पड़ताल करना तथा इस सम्बन्ध में ठेका सलाहकार बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना।
5	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	क्षेत्रीय बोर्ड ई• एस• आई•	कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य/ पैन्शन योजनाओं को प्रदेश में कार्यन्वयन एवं विस्तार सम्बन्धी कार्य करना। क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड का गठन हिमाचल प्रदेश में ई• एस• आई• स्कीम को सही रूप से लागू करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि कामगारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
	(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना)1948	स्थानीय समितियॉ	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सुचारू रूप में संचालन तथा कार्यन्यवन एवं विस्तार सम्बन्धित कार्य करना।
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	क्षेत्रीय समिति ई० पी० एफ० हिमाचल प्रदेश	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का सुचारू रूप से संचालन तथा कार्यन्यवन एवं विस्तार करने के लिये कार्यवाही करना।
7	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	क्षेत्रीय सलाहकार समिति	कामगारो को श्रम अधिनियमों एंव नियमों में निहित सेवा शर्तें, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अवगत करना तथा उत्पादकता, औद्योगिक सम्बन्ध और दायित्व एंव कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना।
8	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1976	राज्य स्तरीय पड़ताल समिति	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन/पुर्नवास

		(बन्धुआ मजदूरी)	सम्बन्धित कार्यवाही ।
9.	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सर्तकता समितियॉ	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन/पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही ।
10	कारखाना अधिनियम,1948	स्थल मूल्यांकन समिति	कारखाना अधिनियम,1948 की प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए उद्योगों की स्थापना से पहले उनके स्थल बारे प्रदेश सरकार को संस्तुती करना।
11.	भवन एंव अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम,1996	हि0 प्र0 भवन एंव अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड	भवन एंव उपकर की धारा–3 के तहत सैस एकत्रित करने का प्रावधान है जो कि बोर्ड में जमा होता है तथा यह सैस की राशि बोर्ड के अर्न्तगत पंजीकृत लाभार्थी कामगारों के कल्याण के लिये खर्च़ की जाती है। हि0 प्र0 भवन एंव अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड भवन एवं निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पैन्शन सुविधा, प्रसूति लाभ, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम राशि, अपंगता पैन्शन, औजार खरीदने हेतु ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता, मृत्यु प्रसुविधा सहायता, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, शादी हेतु वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैन्शन एंव व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के अर्न्तगत लाभ प्रदान करता है।
12.	भवन एंव अन्य सनिर्माण कर्मकार राज्य सलाहकार समिति	राज्य स्तरीय समिति	समिति ऐसे मामलों में परामर्श देती है जो कि भवन एंव अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम,1996 के कार्यान्वयन एंव प्रशासन के सम्बन्ध में।

. परियोजनाओं में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये गठित बोर्ड/समितियाँ

(क) राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाऐं बोर्ड/समिति	औद्योगिक शान्ति को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्धकों व कामगारों में समन्वय स्थापित करना।

(ख) जिला स्तरीयं त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाऐं बोर्ड/समिति	उक्त समिति विभिन्न परियोजनाओं के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देगी तथा परियोजनाओं के नियन्त्रण पर नजर रखेगी तथा इनको पूरा करवाना सुनिश्चित करेगी ।
(ग) परियोजना स्तरीय त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाऐं बोर्ड/समिति	श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों/विवरणियों के सरलीकरण तथा कमी की जाने बारे ।

न्यूनतम वेतन :

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुर्ननिर्धारण, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन करती रही है। इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात समस्त अनुसूचित व्यवसायों मे अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर 110/–रू॰ प्रतिदिन या रू0 3300/– प्रतिमाह प्रथम फरवरी,2010 से निर्धारित किया है जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से 10 प्रतिशत अधिक है। पुनः 1–10–2010से न्यूनतम वेतन मु0 110/– रू0 से 120/– रू0 करने का निर्णय लिया है। अर्ध कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों के वेतन में भी समान अनुपात से बढ़ोतरी की गई है जो कि दिनांक 1.2. 2010 से लागू हैं, जिन अनूसूचित व्यवसायों में बढ़ोतरी की गई है वे निम्न प्रकार से हैं:–

1. कृषि
2. सड़क तथा भवन निर्माण पत्थर पिसाई क्रशिंग/पत्थर तुड़ान
3. फौरेस्टरी एवं टिम्बरिंग आप्रेशन
4. पब्लिक मोटर ट्रासंपोर्ट
5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
6. कैमिकल्ज तथा कैमिक्ल्ज प्रोडक्शन
7. इंजिनियरिंग उद्योग
8. चाय बागान
9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 के खण्ड (क) में परिभाषित।
10. होटल/रेस्तरा
11. निजि शैक्षणिक संस्थान

सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है।

हिमाचल प्रदेश के गैर जन–जातीय क्षेत्रों में ' निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं' में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है।

हिमाचल प्रदेश के जन'जातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढोतरी देय होगी अगर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाऐं/जन–जातीय क्षेत्र में हैं तो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी देय है।

महिला और पुरूष कामगारों को समान कार्य के लिये (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण किया गया है।

कृषि व्यवसाय में कार्यरत अकुशल कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोज़गार अधिकारियों को ''निरीक्षक'' नियुक्त किया है तथा अपने–अपने क्षेत्रों में

सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) को इस अधिनियम के अर्न्तगत प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावों का निपटारा कर सकें ।

बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजनाः

बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत सभी जिला तथा उन–मण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूर से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने के लिये सर्तकता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है। बन्धुआ मजदूरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जॉच की करवाई गई, परन्तु कोई भी ऐसा कामगार नहीं पाया जो बन्धुआ मजदूर की परिभाषा में आता हो।

बाल श्रमिक प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन के लिये प्रदेश के 10 विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत निरीक्षक की शक्तियॉ प्रदान की गई हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1.	समस्त उप–मण्डल अधिकारी, हि0प्र0	राजस्व
2.	आयुक्त, नगर निगम, शिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि0प्र0	आर.डी व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, हि0प्र0	राजस्व
5.	समस्त महा–प्रबन्धक/ प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि0प्र0	उद्योग
6.	समस्त श्रम अधिकारी, हि0प्र0	श्रम एंव रोजगार
7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी, हि0प्र0	–उक्त–
8.	समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत हि0प्र0	स्थानीय निकाय
9.	समस्त हैड कॉस्टेबल एंव उससे उपर के पुलिस अधिकारी, हि0प्र0	पुलिस
10.	समस्त जिला/तहसील कल्याण अधिकारी, हि0प्र0	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
11.	समस्त जिला प्रोग्राम अधिकारी, हि0प्र0	–उक्त–
12.	सम्स्त बाल विकास एवं प्रोजैक्ट अधिकारी, हि0प्र0	–उक्त–
13.	समस्त पंचायत निरीक्षक, हि0प्र0	आर.डी व पंचायती राज
14.	समस्त जिला/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी, हि0प्र0	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला/सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एवं तोल निरीक्षक, हि0प्र0	माप एवं तोल
18.	आबकारी एंव कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, हि0प्र0	आबकारी एवं कराधान

भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रेगूलेशन ऑफ एम्पलायमैन्ट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 1996.

भवन व अन्य सनिर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार ने राज्य में भवन एंव अन्य निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम, 1996 के अर्न्तगत हि0प्र0 भवन एंव अन्य निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक 4–12–2008 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा–18 के अर्न्तगत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे कामगारों के कल्याण हेतू हि0 प्र0 भवन एंव अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 5–3–2009 को कर लिया गया है। यह बोर्ड भवन एंव निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पैन्शन सुविधा, प्रसूति लाभ, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम राशि, अपंगता पैन्शन, औज़ार खरीदने हेतु ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता,मृत्यु प्रसुविधा सहायता, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, शादी हेतु वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैन्शन एंव व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना इत्यादि क्ल्याणकारी योजनाओं के अर्न्तगत लाभ प्रदान करता है। भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 और उसके अर्न्तगत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार जो भी भवन एंव अन्य सन्निर्माण सम्बन्धित कार्य होगें उनके कुल व्यय का 1 प्रतिशत उपकर उपरोक्त कल्याण बोर्ड में जमा होगा तथा इस कल्याण निधि से उपरोक्त लाभकारी योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाता है। इन अधिनियमों एंव नियमों के अर्न्तगत निम्न प्रकार से पंजीकरण किया गया है एंव उपकर प्राप्त हुआ है।

31–3–2011 तक पंजीकृत भवन व अन्य सन्निर्माण किया के अर्न्तगत पंजीकृत संस्थान, लाभार्थी एंव प्राप्त उपकर निम्न प्रकार से है :–

क0 संख्या	31–3–2011 तक पंजीकृत भवन व अन्य सन्निर्माण किया के अर्न्तगत पंजीकृत संस्थान	31–3–2011 तक पंजीकृत भवन व अन्य सन्निर्माण किया के अर्न्तगत पंजीकृत लाभार्थी	31–3–2011 तक पंजीकृत भवन व अन्य सन्निर्माण किया के अर्न्तगत कुल प्राप्त उपकर (रूपये)
1.	368	1276	67.25 करोड़

<u>कामगारों को पहचान–पत्र प्रदान करनाः</u>

श्रम विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी औद्योगिक ईकाईयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों तथा ठेका श्रमिकों को व कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक कामगारों को पहचान–पत्र जारी किये जा रहे हैं जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा दिनांक 31–3–2011 तक कुल 2,51,570 पहचान–पत्र जारी किये जा चुके हैं। इनमें से इस वित्तिय वर्ष में 29,774 कामगारों को पहचान–पत्र जारी किये गये हैं। पहचान पत्रों को प्रदान करने के लिये हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्यौगिक रोजगार (स्थाई आदेश) नियम में संशेधन किया गया है जिससे कामगारों को पहचान पत्र जारी करने के लिये प्रावधान है।

<u>कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948</u>

यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निःशुल्क चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तथा बिजली का प्रयोग हो, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शैडों में लागू नहीं होता। जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 10,000/– रुपये से अधिक है वह इसके अर्न्तगत नहीं आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के अंशदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है। यह योजना जिला सोलनः– (1) सोलन (2) बरोटीवाला (3) बद्दी (4) परवाणु (5) नालागढ़, जिला सिरमौरः– (1) पांवटा साहिब (2) काला अम्ब, जिला ऊनाः–(1) मैहतपुर (2) बाथड़ी (3) गगरेट तथा जिला शिमलाः–(1) शिमला नगर निगम क्षेत्र एवं शोघी, जिला मण्डीः (1) मण्डी (2) रती (3) नेर चौक (4) भंगरोटू (5) चक्कर एंव गुटकर तथा जिला

बिलासपुर के ग्वालथाई में लागू है। श्रमिकों के लिये मैहतपुर, बरोटीवाला, सोलन, जाबली, नालागढ़, बद्दी, शिमला, पांवटा–साहिब, काला–अम्ब में डिस्पैन्सरियों के अतिरिक्त परवाणु में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय निदेशक ई0एस0आई0 कारपोरेशन का कार्यालय परवाणु (ई0एस0आई0 कौम्पलैक्स) में स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के बद्दी में ESI Corporation का Super Specility Hospital व जिला मण्डी कें नेरचौक में ESI Corporation के Super Speciality Hospital & Medical College का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952

कर्मचारी भविष्य निधि एंव विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अर्न्तगत कारखानों तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है। इस समय इस योजना के अर्न्तगत 6542 संस्थानों में 3,07,551 कर्मचारियों को लाया जा चुका है । क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, शिमला में स्थित है।

कामगारों के लिये शिक्षा योजना

कामगारों को श्रम अधिनियमों एंव नियमों में निहित सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण,सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अवगत करना तथा उत्पादकता, औद्योगिक सम्बन्ध और दायित्व एंव कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना है। कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है। कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह भी शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय अधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्न्तगत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय अधिकरण स्थापित किये है। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय अधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिति का काजा उप–मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय अधिकरण धर्मशाला में वर्ष 2003 से स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लु तथा लाहौल स्पिति का लाहौल भाग शामिल है। इन न्यायालयों में औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद के बराबर श्रम अदालत औद्योगिक न्याय अधिकरण के एक–एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं:–

क्रमांक	प्दनाम	संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2
2.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2
3.	स्टैनो टाईपिस्ट	2
4.	वरिष्ठ सहायक–एवं–रीडर	4
5.	अहलमद	4
6.	चालक	2
7.	दफ्तरी	2
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
9.	स्वीपर–कम–चौकीदार	1

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्न्तगत की गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को श्रम विभाग इन न्यायालयों/न्याय अधिकरणों को अधिसूचित करता है।

इसके अतिरिक्त, कामगार अवार्ड, समझौता और देय राशि भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र सीधे तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अर्न्तगत किये जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक न्याय अधिकरण की शक्तियां दी गई हैं जबकि अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्याय अधिकरण अलग–अलग हैं। श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्याय अधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अर्न्तगत दावों से सम्बन्धित निर्णय करता है।

उपरोक्त न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर भी प्रदेश के मजदूरों के दावों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि कामगार जो दूर–दराज़ के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अपने मुकदमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके। ये न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं ।

1.4.2010 से 31.3.2011 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1	1.4.2010 को लम्बित मामले	1420	317	1737
2	1.4.2010 से 31.3.2011 तक प्राप्त मामले	472	265	737
3	1.4.2010 से 31.3.2011 को कुल मामले	1892	582	2474
4	1.4.2010 से 31.3.2011 तक निपटाये गये मामले	1002	322	1324
5	31.3.2011 को लम्बित मामले	890	260	1150

अध्याय–4
रोज़गार खण्ड

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 55 उप रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं। ये रोज़गार कार्यालय अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'फौरन इम्पलायमैंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो' का निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में गठन किया है ताकि विदेश जाने के इच्छुक कामगारों का प्राईवेट एजेन्टों से होने वाले शोषण से उन्हें बचाया जा सके।

1–4–2010 से 31–3–2011 तक जिलावार रोज़गार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र• स•	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियॉं			सम्प्रेषण			सेवा नियोजन			सजीव पंजीका (पंजीकृत आवेदकों की संख्या)
			सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
1.	बिलासपुर	**8028**	**63**	37	100	5163	6601	11764	112	124	236	52269
2.	चम्बा	**7214**	**51**	39	90	2963	8589	11552	45	224	269	58139
3.	हमीरपुर	**8437**	**19**	68	87	2093	6089	8182	53	266	319	65184
4.	कांगड़ा	**26748**	**322**	289	611	6577	10237	16814	134	496	630	185273
5.	किन्नौर	**1686**	**1346**	137	1483	997	401	1398	8	14	22	7819
6.	कुल्लू	**6169**	**47**	26	73	1200	231	1431	4	30	34	49398
7.	लाहौल स्पिति	**493**	**1**	0	1	5	0	5	0	0	0	4234
8.	मण्डी	**21438**	**150**	78	228	6718	8636	15354	355	470	825	147221
9.	शिमला	**10897**	**508**	19	527	4200	6163	10363	159	211	370	92810
10.	सिरमौर	**9697**	**17**	1376	1393	1396	9749	11145	145	105	250	49125
11.	सोलन	**8408**	**184**	1358	1542	838	10416	11254	91	760	851	55681
12.	ऊना	**10827**	**83**	514	597	2943	9729	12672	60	502	562	58611
	जोड़	**120042**	**2791**	3941	6732	35093	76841	111934	1166	3202	4368	825764

शिक्षावार विभाजन

स्नातकोत्तर	**59,130**
स्नातक	**1,16,493**
दसवीं व उपर स्नातक से कम	**5,56,872**
दसवीं से कम पढे लिखे	**90,434**
अनपढ़	**2,835**
कुल योग	**8,25,764**

जाति वार विभाजन

अनुसूचित जाति	1,71,769
अनुसूचित जन जाति	35,447
टो॰बी॰सी॰	65,668
अन्य	5,52,880
कुल योग	8,25,764

स्त्री/ पुरूष विभाजन

पुरूष	5,34,718
स्त्री	2,91,046
जोड़	8,25,764

शहरी ग्रामीण विभाजन

शहरी	1,29,476
ग्रामीण	6,96,288
जोड़	8,25,764

श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में स्थापित विशेष रोज़गार कार्यालय (अंपगों हेतु), द्वारा वर्ष 2010–11 में किये गये कार्यकलापों का विवरणः

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष, 1976 में विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है।

समाज के इस वर्ग को कई प्रकार की सुविधाऐं/रियायतें दी गई है जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, उपरी आयु–सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की (हाथ तथा बाजु) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट है तथा आरक्षण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी	प्रतिशत
1.	तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण	3 प्रतिशत
2.	महिलाओं के लिये खोले गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व सिलाई कटाई केन्द्रों में आरक्षण	5 प्रतिशत

आरक्षित रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अपंग तथा उनके अनुरक्षकों को यात्रा–भत्ता देने का प्रावधान है।

व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं है, अधिनियम, 1995 के तहत नियोक्ताओं के अभिलेख, रोस्टर प्वांईट को चैक करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विशेष रोज़गार कार्यालय (अंपगों हेतु), द्वारा वर्ष 2010–11 में किये गये कार्यकलापों का विवरणः

क्र0सं0	पंजीकरण	आरक्षित रिक्तियों की अधिसूचना	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन	सजीव पंजीका
1	1555	221	1012	233	16,507

व्यावसायिक मार्गदर्शन संगठन तथा रोजगार परामर्शः

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अधीन इस समय चार व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र है तथा शेष तीन केन्द्र, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोज़गार के सन्दर्भ में आवेदकों का पंजीकरण व उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्याःश्रम (एम्प) 16/6/93–1, दिनांकः31–1–2006 द्वारा जिला स्तर पर सूचना एंव मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना उपायुक्त की अध्यक्षता में की है जिसका कार्य आवेदकों को राज्य के सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार व स्व–रोज़गार सहायता प्रदान करना है। प्रदेश के प्रतिष्ठानों व शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

1–4–2010 से 31–3–2011 तक इन व्यावसायिक केन्द्रों तथा अधीनस्थ रोज़गार कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गयेः–

1. वर्ष में 210 व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्प आयोजित किये गये।
2. रोज़गार के इच्छुक आवेदकों के रोज़गार सहायता हेतु 59 आवेदन निपटाये गये।
3. सुजानपुर टिहरा जिला हमीरपुर में विभाग द्वारा भरतीय वायुसेना के साथ मिलकर भर्ती रैली 16 अप्रैल,2010 से 20 अप्रैल,2010 तक आयोजित की गई। इस रैली में लगभग 5400 आवेदकों ने भाग लिया।

केन्द्रीय रोज़गार कक्ष की गतिविधियॉः

हिमाचल प्रदेश के निजि क्षेत्र में लगी एंव लगाई जा रही औद्योगिक ईकाईयों, में तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोज़गार उपलब्ध करवाने के दिशा में निदेशालय में स्थित केन्द्रीय रोज़गार कक्ष वर्ष 2010–11 में भी अपनी सेंवाऐं अर्पित करता रहा है। केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के वर्ष 2010–11 के कार्य कलापों का लेखा जोखा निम्न प्रकार से है :–

क0 सं0	रिक्तियों की अधिसूचना	आवेदकों का सम्प्रेषण	सेवा नियोजन
1.	916	5013	81

इसके अतिरिक्त राज्य के दूर दराज़ क्षेत्रों में स्थित रोज़गार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू करवाये गये ताकि निजी क्ष्ेत्र में अकुशल कामगारों की मांग को पूरा किया जा सके।

क0 सं0	वर्ष	कैम्पस इन्टरव्यू	सेवा नियोजन
1.	2010–11	246	2429

इसके अतिरिक्त दिनांक 22–2–2011 को परवाणु में रोज़गार मेले का आयोजन किया गया था। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है।

क0 सं0	रिक्तियों की अधिसूचना	उपस्थित आवदेक	सेवा नियोजन
1.	409	850	189

हिमाचल प्रदेश में स्थापित उद्योगों तक्षा हाईड्रोईलैक्ट्रिक प्राजैक्टों में हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोज़गार की मॉनिटरिंगः

हिमाचल प्रदेश में निजि क्षेत्र में स्थापित उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोज़गार मॉनिटरिंग करने का करने का कार्य इस विभाग को, माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश के साथ हुई विभागीय बैठक दिनांक 22–8–2008 द्वारा दिया गया था। अतः विभाग के क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी/जिला रोज़गार अधिकारी/श्रम अधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि अपनी सामान्य निरीक्षण प्रकिया के दौरान उद्योगों तथा जल–विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोज़गार के विषय को भी देखेंगे। जिन

उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत से कम हिमालियों को रोज़गार दिया गया है उनकी सूचना उद्योग विभाग तथा एम0पी0पी0 एण्ड पावर को आगामी कार्यवाही हेतु दी गई।

फौरन इम्पलौयमैन्ट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरोः

हिमाचल प्रदेश के विशेषकर कुशल, अर्ध–कुशल एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त इच्छुक प्रार्थियों को विदेश में रोजगार के अवसर जुटाने के दृष्टिगत तथा उन्हे पासपोर्ट, वीज़ा एवं उत्प्रवासी अधिनियम व विनियम के बारे जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार विभाग में वर्ष, 1994 में 'फौरन इम्पलौयमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो' की स्थापना की गई है। यह ब्यूरो उत्प्रवासी अधिनियम के अर्न्तगत महासंरक्षी उत्प्रवासी, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा जनशक्ति निर्यात किए जाने के उद्देश्य हेतु पंजीकृत है।

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रमः

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत रोज़गार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की रोज़गार से सम्बन्धित सूचना नियमित रुप से एकत्रित करते हैं। रोज़गार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश में जिला स्तर पर रोज़गार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र को व्यक्त करता है। रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 25 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और जो कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हो, से ऑकड़े रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अर्न्तगत एकत्रित किए जाते हैं। रोज़गार के ऑकड़े निजी क्षेत्र के छोटे प्रतिष्ठानों जिनके पास 10 से 24 कर्मचारी कार्यरत हैं, से स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित किये जाते हैं। रोज़गार कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र की विशेषकर नई ईकाइयों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है, व उन्हें रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अर्न्तगत अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के 183 निरीक्षण किए गए हैं।

निजि क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल निरीक्षण
87	96	183

रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार की स्थिति का विश्लेषण विभाग द्वारा समय–समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिष्ठानों की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	साार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त मार्च/09	3,806	1,217	2,57,837	1,14,481
त्रैमासान्त मार्च/10	3,908	1,235	2,67,647	1,19,915

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त मार्च 2010 में प्रतिष्ठानों की संख्या एवं अनुमानित रोज़गार :–

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध–सरकारी केन्द्रीय		अर्ध–सरकारी राज्य		स्थानीय निकाय	
	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार
मार्च/09	137	14,172	2,493	1,78,942	639	17,196	479	43,570	58	3,957
मार्च/10	135	13,812	2,593	1,89,495	646	17,067	475	43,333	59	3,940

निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च, 2010 में प्रतिष्ठानों की संख्या व अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान		लघु संस्थान	
	25 या अधिक कर्मचारी वाले		10 से 24 कर्मचारियों वाले	
	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार
त्रैमासान्त मार्च/09	821	1,08,339	396	6,142
त्रैमासान्त मार्च/10	852	1,14,158	383	5,757

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च, 2010 में औद्योगिक वर्गीकरण में संस्थानों की संख्या एंव अनुमानित रोजगारः–

त्रैमासान्त मार्च,2010					
		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
		प्रति0 संख्या	अनु0 रोजगार	प्रति0 संख्या	अनु0 रोजगार
1.	कृषि एंव पशु व्यवसाय	137	17,188	10	412
2.	मतस्य शिकार	10	288	0	0
3.	खनिज एंव खाद्य	04	62	1	44
4.	उत्पादन	49	2,257	827	84,893
5.	विद्युत गैस एंव जल	181	36,732	25	16,938
6.	निर्माण	148	43,464	18	3,076
7.	थोक एंव परचून व्यापार	26	1,013	32	1,032
8.	होटल एंव रेस्तरां	13	760	79	2,573
9.	यातायात, संचार एंव भण्डार	52	17,039	13	468
10.	वित्तिय बीमा	771	10,170	09	191
11.	असली सम्पदा, लगान,व्यवसाय कार्यकलाप	59	2,480	04	309
12.	लोक प्रशासन, रक्षा,समाजिक एंव व्यक्तिगत समस्यायें	648	44,648	01	32
13.	शिक्षा	1,574	69,731	196	8,939
14.	स्वास्थ्य एंव सम्बन्धित कार्य	187	20,926	14	672
15.	अन्य समाजिक एंव व्यक्तिगत सेवायें	49	889	06	336
	कुल	3,908	2,67,647	1,235	1,19,915

वर्ष 2009–10 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोज़गार के त्वरित अनुमान।
त्रैमासान्त मार्च,2010 के दौरान औसत रोज़गार।

विवरण–1

त्रैमासान्त मार्च 2010 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर,2009 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
2,67,647	1,19,915	3,87,562	3,86,427

औसत महिला रोज़गार

विवरण–2

त्रैमासान्त मार्च 2010 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर,2009 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
54,717	12,819	67,536	66,960

कुल औसत तुल्नात्मक रोज़गार

विवरण–3

त्रैमासान्त मार्च,2009 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त मार्च,2010 को कुल रोज़गार	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
3,72,318	3,87,562	4.094

कुल औसत तुल्नात्मक रोज़गार (महिला)

विवरण–4

त्रैमासान्त मार्च,2009 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त मार्च,2010 को कुल रोज़गार	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
58,140	67,536	16.16

नोटः– उपरोक्त सूचना में जिला लाहौल–स्पिति के आंकड़े सम्मिलित नहीं किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त वर्ष 2010–11 के दौरान सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्र से सम्बन्धित कुल 24 नये संस्थान चिन्हित कर रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत शामिल किये गये।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अर्न्तगत बनाये जा रहे भवनों का विवरणः

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन 109 कार्यालय कार्यरत हैं।

(क) विभागीय 25 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैंः

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण शिमला तथा धर्मशाला, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी तथा शिमला, विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एंव मार्गदर्शन ब्यूरो शिमला एंव पालमपुर जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा, नाहन तथा रिकांग–पीओ, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्दी तथा रामपुर बुशैहर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुशैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ, बद्दी, नाहन तथा पांवटा साहिब एवं उप रोज़गार कार्यालय रामपुर बुशैहर, नालागढ, भरमौर, डोडरा–क्वार, काज़ा एंव चिड़गांव।

(ख) विभागीय 37 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैः

श्रम एवं रोज़गार निदेशालय शिमला, उप–निदेशक कारखाना शिमला, उप–निदेशक कारखाना ऊना, क्षेत्रीय रोज़ग़ार कार्यालय धर्मशाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लु, श्रम कार्यालय धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लू एंव श्रम निरीक्षक कार्यालय, धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लु, अम्ब, सुन्दरनगर, पालमपुर, देहरा, नूरपुर तथा उप–रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, गोहर, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा, ज्वाली एंवं राजगढ़।

(ग) विभागीय 7 कार्यालय जो निर्माणाधीन हैंः

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थित कार्यालयों के लिए विभाग द्वारा विभागीय भवन बनवाने का कार्य किया गया है। इनमें श्रम अधिकारी कार्यालय, कुल्लू, उप–रोज़गार कार्यालय उदयपुर, चुवाड़ी, चौपाल, फतेहपुर तथा उप–रोज़गार कार्यालय नालागढ़ एंव श्रम निरीक्षक कार्यालय नालागढ़ हैं।

शेष कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

S. No.	Head of Account	Sactioned Budget 2010-11		Actual Expenditure during 2010-2011	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour,001-Direction & Administration, 01-Staff at the Hqrs.				
		-	73,94,000	-	71,46,116
2.	01-Labour,101-Industrial Relaltions, 01-Enforcement of Labour Laws.				
		-	2,03,25,000	-	2,05,42,551
3.	01-Labour,101-Industrial Relations, 03-Wage Board				
		-	41,000	-	39,329
4.	01-Labour,102-Working Conditiions & Safety, 01-Inspectorate of Factories.				
		-	4,99,000	-	2,13,864
5.	01-Labour,103-General Labour Welfare, 01-Education				
		-	1,69,000	-	-
6.	02-Employment, 001-Direction & Administration-01-Staff at the Directorate of the Employment.				
		-	38,09,000	-	36,16,058
7.	02-Employment,004-Research ,Survey & Statistics, 01-Collection of EMI				
		-	57,17,000	-	44,93,886
8.	02-Employment,101-Employment Services, 01-Extension Coverage of Employment Services.				
		-	5,16,56,000	-	5,08,54,464
9.	02-Employment,101-Employment Services, 02-Vocational Guidance & Employment Counselling.				
		-	16,54,000	-	16,80,038
10.	02-Employment,101-Employment Services, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.				
		-	4,17,000	-	3,71,349
11.	02-Employment,101-Employment Services, 05-Special Employment Exchanges(Scheduled Castes)				
		-	5,37,000	-	5,17,773
12.	2059-Minor Works-01-053-42				
		-	1,000	-	-
13.	4250-Capital Works				
		41,00,000	-	41,00,000	-
	Total:	41,00,000	9,22,19,000	41,00,000	8,94,74,428

Centrally Sponsored Schemes (100%)

1.	02-Employment,101-Employment Services, 06-Special Employment Exchanges(Physically Handicapped)				
		-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

BUDGET & ACTUAL EXPENDITURE STATEMENT RECONSILED FIGURE DEMAND NO-31-TRIBAL DEVELOPMENT

1.	01-Labour, 796-Tribal Area-Sub-Plan,01-Expenditure on inforcement of Labour Laws				
		2,00,000	16,40,000	99,583	16,94,200
2	02-Employment,796-Tribal Area Sub Plan, 01-Expenditure on Employmen Services				
		7,00,000	36,12,000	4,78,938	32,08,018
	TOTAL	9,00,000	52,52,000	5,78,921	49,02,218

Receipt Major Head-0230

	Head of Account	Estimated Budget	Actual
1.	0230-00-101-01 Under Labour Laws	7,000	4,035
2.	0230-00-102-01 Regn. Of Trade Union	1,000	1,485
3.	0230-00-104-01 Fees Under Factory Act	2,75,00,000	3,05,80,032
4.	0230-00-106-001 Fees Under Contract Labour Act	90,000	1,02,945
5.	0230-00-800-01 Fees Under Motor Transport Act	74,000	1,05,360
6.	0230-00-800-02 Fees Under Shops & Comm.Establishment Act	6,10,000	68,12,942
7.	0230-00-800-05 Recovery of Over Payment	20,000	30,910
8.	0230-00-800-07-Others MIsc Recovery	40,000	1,12,244
9.	0230-00-800-10-Cess	25,00,000	33,64,548
	Total:	3,63,32,000	4,11,14,501

Government of Himachal Pradesh
Department of Labour & Employment

No.Shram(A)4-2/2005 Dated: Shimla:171001 the 10th April,2007.

Notification

In exercise of the power conferred by clause (b) of Sub section (1) of section 4 of the Right of Information Act,2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the records and other activities of the Labour & Employment Department, as under :-

1.	The particulars of its organisation, functions and duties	The Department of Labour & Employment came into existence in 1972 after segregation from Industries Department. It is mainly responsible for implementation of various Labour Laws (27 Central & 2 State Acts) and for providing employment assistance to job-seekers. The Department has been playing the role of a facilitator and regulator. It comprises of 3 wings- Labour, Factories & Employment. The Labour wing is primarily looking after the welfare, health & safety of the workers in the industrial and commercial establishments. It is also responsible for maintaining industrial peace and harmony between the managements and the workers. The Factory Wing is responsible for approval of Building Plans of factories, issue and renewal of factory licence and inspection of factories to ensure compliance of provisions regarding health, safety and welfare of factory workers. The Employment wing helps the interested job seekers and other persons interested in self employment by way of registration, sponsoring and by providing vocational guidance and career counselling.
2.	The powers and duties of its officers and employees.	Cases which are disposed off at the level of **Secretary (Lab and Emp.) Govt. of HP** i) Establishment matter relating to Lab. & Emp. Deptt/ ii) Lok Sabha/ Rajya Sabha Questions. iii) Court Cases. iv) Budget, Financial matter/ Expenditure sanctions.

v) Publication of Awards.

Deputy Secretary

i) All correspondence relating to personnel matters/ financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary.

ii) Public representations received in this office are forwarded to the concerned departments for report and appropriate action

Section Officer

i) To supervise all the work relating to personnel/ Budget and public representative etc.

ii) To ensure all the Dealing Asstt. and Diarist are maintaining all required registers and keep the same updated.

iii) To keep carefully watch on the movements of dak files between section and higher authorities.

iv) To ensure timely submission of time bound cases/ Court cases.

v) To ensure that all manuals, Rules, inspections, guard files etc. of the section are kept up to date.

Superintendent

i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control.

ii) To ensure timely submission of all papers according to their priority.

Sr./Jr. Asstt.

i) Opening/ maintaining of files and noting and drafting up to date of various types of data and maintenance of various registers.

ii) Establishment matters including R & P Rules, maintenance of Service Books, Service records, leave account, pension cases, disciplinary matters, pay fixation, finalisation of seniority, court cases and other misc. matters.

Clerk

		i) Diary and despatch/ movement of files weekly & monthly statements etc. ii) Maintenance of leave account and other misc. work entrusted by the S.O.
3-	The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.	All the cases in the Branch are submitted on file by the concerned Dealing Asstts. Supervised by the Supdt. and submitted to the S.O. He submits it further to the Under Secretary the to the Secretary. Routine matters and informatory references are disposed off at S.O./ Under Secretary level. Financial matters/ expenditure sanctions, decision taking power vests with the Secretary.
4.	The norms set by it for the discharge of its functions.	As stated at Point No. 2 & 3.
5.	The Rules, Regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control.	The various rules & Regulations/ instructions followed are as under:- 1. HPFRs 2. CCS & CCA Rules 3. Conduct Rules, 4. Medical Attendance Rules, 5. Delegation of financial powers. 6. LTC Rules/ GPF Rules/ Pension Rules etc. 7. R & P Rules. 8. Office Manuals.
6.	Statement of the categories of the documents that are held by it or under its controls.	N/A.
7.	The particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the members of the public in relation to	N.A.

	the formulation of its policy or administration thereof.	
8.	A statement of the Board, Councils Committee & Other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards/ Councils/ Committee and other Bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.	N.A.
9.	A directory of its officers and employees.	1. Secretary (Lab & Emp.)- Ph.No.2621876, 2880735 2. Deputy Secretary.- Ph.No.2628499, 2880527 3.Senior Private Secretary/P.A.-Ph.No.2621876, 2880735 4. Section Officer-Ph.No.2880444 5. Superintendent- Ph.No.2880544 7. Sr. Asstts.-Ph.No. -do- 8. Jr. Asstt.-Ph.No.-do- 9. Clerks-Ph.No. -do- 10. Peon. -Ph.No. -do-

10.	The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.	N.A.
11.	The Budget Allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made.	N.A.
12.	The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	N.A.
13.	Particulars of recipients of concessions permits or authorizations granted by it.	N.A.
14.	Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.	N.A.
15.	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library	N.A.

	or reading room, if maintained for public use.	
16.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	This department vide Notification dt. 31.10.05 has already designated the officers of the Lab and Employment Deptt. As Appellate Authority/ Public Information Officer. The said information is also available on the official website of the State Government.
17.	Such other information as may be prescribed.	The list of all the Acts and Rules which are pertaining to the L & E Deptt. is available on the Website of the Deptt.

BY ORDER

Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of HP

Endst. No. Shram(A)4-2/2005 dated Shimla-2 the 10th April,2007

Copy to: -

9. The Principal Secretary (AR) to the Govt. of HP Shimla-2.
10. All the Admn. Secretaries, H.P. Shimnla-2.
11. All the HOD's in HP.
12. All Div. Commissioners,/ DCs in HP
13. The Controller, P & S H.P. Shimla-5, for publication in the Rajpatra (Extra ordinary)
14. Guard File.

Deputy Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of HP

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :–

Name of Department: **Labour & Employment, Himachal Pradesh**

Govt. of Himachal Pradesh.

Directorate of Labour & Employment.

No: Shram(Prastha)11/05 Dated:21.2.2007

OFFICE ORDER.

The particulars of the organization, functions and duties etc. required to be published as per provisions of Sub-Section (1)(b)of Sec.4 of the Right to Information Act,2005 are as under:-

(I) Particulars of Labour & Employment Department, its Functions & Duties.

The Department is regulatory in nature and primarily concerned with ensuring the implementation of Labour Acts(26 Central & 2 of the State) and of the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act,1959. The Labour Wing of the department is primarily responsible for implementation /enforcement of Labour Laws and maintaining Industrial Peace. The Factory Wing is looking after the Registration of Factories, welfare & safety of workers working in such Factories. The Employment Wing gives Employment Assistance, primarily to the youth.

The names of the Labour Acts are as under:-

1. Bonded Labour System(Abolition) Act, 1976
2. Contract Labour(Regulation and Abolition)Act, 1970
3. Child Labour(Regulation and Prohibition)Act, 1986
4. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
5. Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act,1981
6. The Building and other construction workers Cess Act,1996
7. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
8. Employees State Insurance Act, 1948.
9. Equal Remuneration Act, 1976.
10. Factories Act, 1948.
11. Industrial Dispute Act, 1947.
12. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.
13. Interstate Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.

14. The Labour Laws (Exemption from furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988.
15. Maternity benefit Act, 1961.
16. Minimum Wages Act 1948
17. Motor Transport Workers Act, 1961.
18. Payment of Bonus Act1965,
19. Payment of Gratuity Act, 1972.
20. Payment of Wages Act 1936,
21. Plantation Labour Act, 1951.
22. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976.
23. Trade Unions Act, 1926.
24. Working Journalists and other Newspapers Employees (Condition of Service and Miscellaneous provisions) Act, 1955
25. Workman Compensation Act, 1923.
26. Boilers Act,1923

ैजाज्म ।बजै

1. Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act,1969
2. H.P.Industrial Establishments (National & Festivals Holidays, Casual & Sick leave) Act,1969

(II) Powers and duties of Officers and Employees:

Labour Commissioner- cum Director of Employment is also the Chief Inspector of Factories, Registrar of Trade Unions, Chief Inspector of Shops and Conciliation Officer under Industrial Disputes Act, 1947.

The Directorate monitors the working of the field offices .Registration of Factories is done under the Factories Act,1948 and disputes are referred to the two Labour Courts -cum-Industrial Tribunals in H.P. at Shimla and Dharamshala under the Industrial Disputes Act,1947, Registration of Trade Unions is done under the Trade Union Act,1926 Registration of Motor Transport is done under Motor Transport Act Prosecution sanctions are given to the field functionaries to launch prosecution against the defaulters under various Labour Laws.

Employment Assistance is provided to Physically Handicapped and sponsoring of skilled registrants to private sector, inspection of sub-ordinate offices and Establishments in Private and Public Sector.

POWER & DUTIES:

Labour Commissioner:

Labour Commissioner is functioning as Chief Inspector of Factories, Shops and Commercial Establishments Act, 1969 .The Labour Commissioner is also functioning as Conciliation Officer under the Industrial Disputes Act, 1947 and Registrar Trade Unions under the Trade Unions under the Trade Unions Act, 1926. The Labour Commissioner also functions as Inspector under the various Labour laws. The Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Order) Act.

Joint Labour Commissioner:

The Joint Labour Commissioner is functioning as Additional Chief Inspector of Factories under the Factories Act,1948.The Certifying Officer under Industrial Employees(Standing Orders)Act, Appellate Authority under the Payment of Gratuity Act and also functioning as Inspector under various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Deputy Labour Commissioner:

The Deputy Labour Commissioner is functioning as Deputy Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948, Appellate Authority under the Contract Labour Act(R&A)Act,1970, Registering Officer under the Motor Transport Worker Act,1961 and also functioning as Inspector under the various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Labour Officers & Labour Inspectors:

Labour Officers and Labour Inspectors are also Conciliation Officers for Industrial Disputes .Labour Officers act as controlling authority to decide claims of gratuity under Payment of Wages Act,1970.Registration Officers and licensing officer under Contract -Labour Act(R&A)Act,1970 and Inter State Migrant Workmen(RECS)Act .Where there are more than 200 workers and Labour Officer is not posted in the

District, there District Employment Officers discharge the duty of Conciliation Officer to try and resolve Industrial Dispute arising between management and workers. They also carry out Inspection of Public and Private Sector Units. Labour Officers and Labour Inspectors ensure implementation of Labour Acts including the shops registration, implementation of Minimum Wages and forwarding of cases regarding violation of provision of payment of wages ,Gratuity, Bonus to Directorate for obtaining prosecution sanctions.

Assistant Director of Factories:

Assistant Director of Factories looks after Registration of Factories and Safety & welfare of workers working therein.

EMPLOYMENT SECTION

At the Directorate Labour Commissioner-cum-Director of Employment is assisted by Deputy Director Employment and by Employment Market Information Officer, State Vocational Guidance Officer, Officer in Charge (Placement), (Special Employment Exchange for Physically Handicapped) and Employment Officer (Central Employment Cell).

Regional Employment Officers and District Employment Officers give Vocational Guidance, Career Counseling and Employment Assistance for jobs in Private Sector and Govt. Sector as well as for self employment, to such persons who are residing in their territorial jurisdiction. They also inspect subordinate Employment Exchanges. Private and Public sector establishments in their districts are also inspected by them and Employment Officers, Superintendent Grade-II and Statistical Assistants. In charges of Sub Office Employment Exchanges are also carrying out these functions except that of inspection. The two UEIGBs at HPU Shimla and Chaudhery Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur are giving vocational guidance mainly to the respective University students.

(III) Procedure followed in decision making process including channels of supervision and accountability:

All offices are working independently but under administrative control of next higher office. They can also be inspected by superior departmental officers .The office of Assistant Director of Factories Una , all University Employment Information Guidance Bureaus, Regional Employment Exchanges,District Employment Exchanges and office of Labour Officers are audited by A.G.Office from time to time.

(IV) The norms set by discharge of its function:

Registration and renewal of registration in Employment Exchange is done on the same day and sponsoring of registrants is also done within scheduled time (Generally four weeks).

(V) The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control:

Being a regulatory department it ensures the implementation of the Acts (and Rules) as mentioned at Sr. No. I hereinabove as also all Rules and instructions of Himachal Pradesh Govt. applicable on the Departments.

(VI) Statement of the categories of the documents:

A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control. Files related to ensuring the implementation the Acts & Rules mentioned against Sr.No.(V)hereinabove. Also files related to Budget, Plan, and Annual Administrative Report etc.

(VII) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof;

a) State Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of Hon'ble Employment Minister as Chairman, 16 Members and Director of Employment as Member Secretary includes representatives of Employers workers as well as public representatives.

b) District Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of respective DCs as Chairman,10 members and respective REOs/DEOs as Member Secretary including representatives of employers, workers and public representatives.

c) Minimum Wages Advisory Board constituted on 1.9.2003 comprising of Chairman, 37 members and member Secretary and constituted a committee on 30.1.2004 comprising of Chairman, 11 members and member Secretary.

d) Expert Committee under Building and Construction Act constituted on 24 Sep,2003 comprising of Chairman,9 members and member secretary

e) Regional Board for H.P. Region under ESI Act,1948 which consist of a Chairman,Vice-Chairman,3 members, Ex-Officio member,2 Employees Representative,6 Employers Additional Representative and member Secretary.

f) Regional Committee for State of H.P. under Employee Provident Fund Scheme, 1952 which consists of Chairman. 2 official members, 5 members of employers representative, 5 members of Employees representatives

g) Three local committees under Regional Board constituted under ESI(Gen)Regulation,1950 consisting following members: Chairman, Member ,Labour Inspector, Medical Officer, Incharge 4 members of Factory & Branch Manager, ESI Corporation.

h) State level Tripartite Committee which consist of Chaiman, Vice-Chairman, 14 members and Member Secretary.

i) State Advisory Contract Labour Board consisting Chairman,7 members, Member Secretary.

j) State Labour Welfare Board consisting Chairman (Chief Minister)112 Members and Member Secretary.

(VIII) A statement of the board, councils committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.

As mentioned against item no (vii) hereinabove meetings are not open to public as such However, due care has been taken to involve all the stake holders.

(IX) Directory of Officers and Employees:

	Name	Designation	Office Telephone Nos.
1.	Sh.J.P.Singh, IAS	Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P.	0177-2625085
2	R.S.Sipahiya	Joint Labour Commissioner, Directorate	0177-2624157
3.	Sh.S.K.Kaushal	Deputy Labour Commissioner, Directorate.	0177-2624305
4.	Sh. Manoj Tomar	Deputy Director Employment, Directorate	0177-2624305
5.	Sh. A.K.Sood	Deputy Director of Factories,Directorate	0177-2624157
6.	Smt. Sangeeta Gupta	District Employment Officer,Shimla	0177-2658174
7.	Sh. R.K.Gupta	Supdt. Grade-I,Directorate	0177-2625277
8.	Smt.Nirmla Sharma	District Employment Officer, Solan	01792-223746
9.	Mr.K.K.Sharma	Employment Market Information Officer,Shimla	0177-2620229
10.	Sh.Joginder Singh Patial	District Employment Officer, Kangra	01892-224892
11.	Mr.G.D.Kalta	Officer Incharge (Placement)	0177-2625277
12.	Miss Vandana Vaidya	District Employment Officer, Mandi	01905-235508
13.	Sh. Hari Ram	Officiating District Employment Officer, Bilaspur	01978-222450
14.	Sh.Prem Singh	District Employment Officer, Kullu	01902-222522
15.	Sh.R.C.Katoch	District Employment Officer, Una	01975-226063
16.	Sh.Y.R.Dhiman	District Employment Officer, Hamirpur	01972-222318
17.	Sh. Mohinder Pal	Officiating District Employment Officer, Chamba	01899-222209
18.	-	CDPO L&S(Holding the Charge of District Employment Exchange, Keylong	01900-222252
19.	Sh. Munish Karol,L.O.	Holding the Charge of District Employment Exchange Rekong-Peo	01786-222291
20.	Sh.S.K.Kaushal	Labour Officer, Solan	01792-223745
21.	Sh.J.S.Negi	Labour Officer, Rampur	01782-234286
22.	Sh.T.R.Azad	Labour Office, Kullu	01902-223698
23.	Sh.R.P.Rana	Labour Office, Mandi	01905-235542
24.	Sh.P.S.Verma	Labour Officer,Baddi	01795-271210
25.	Sh. P.D.Sharma	Labour Officer,Nahan	01702-226144
26.	Sh. Raj KUmar	Labour Officer,Una	01975-224243
27.	Sh. Rajesh Pangania	Labour Officer,Chamba	01899-223233
28.	Sh. Darshan Singh Thakur	Labour Officer D/Shala	01892--225329
29.	Sh.Jitender Bindra	Labour Officer, Shimla	01792-223745
30.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer,Bilaspur	01978-221516
31.	Sh. Munish Karol	Labour Officer,Kinnaur	01786-220007

(X) The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations.

Post	Pay Scale

Labour Commissioner-cum-Director of Employment, IAS.	37400-67000
Assistant Director of Factories	15600-39100
Joint Labour Commissioner	15600-39100
Deputy Labour Commissioner	10300-34800
Deputy Director of Employment	10300-34800
District Employment Officers	10300-34800
Regional Employment Officers	10300-34800
Superintendent Grade-I	10300-34800
Labour Officers	10300-34800
Employment Officers	10300-34800
Law Officer	10300-34800
Superintendent Grade-II	10300-34800
Personal Assistant	10300-34800
Senior Scale Stenographer	10300-34800
Statistical Assistant	10300-34800
Senior Assistant	10300-34800
Labour Inspectors	10300-34800
Computer Operator	10300-34800
Junior Assistant	5910-20200
Junior Scale Steno	5910-20200
Driver	5910-20200
Steno-typist	5910-20200
Clerk	5910-20200
Daftri	4900-10680
Class-IV	4900-10680
Frash	4900-10680

(**XI)** The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans proposed expenditures and reports on disbursement s made; Standard Object of Expenditure wise budget is allocated to each Drawing and Disbursing Officer and expenditure is regularly monitored.

(XII) The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details beneficiaries of such programmes; Not Applicable.

(XIII) Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it;Not Applicable.

(**XIV)** Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form;Registration record of Regional Employment Exchange Shimla, Registration record of Central Employment Cell at Directorate , Salary disbursement at Directorate.

(XV) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained, for public use.The offices of the department are open to citizens for obtaining information on all working days , especially on all working Mondays when officers are available for meeting the citizens.

(XVI) The names ,designations and other particulars of the Public Information Officers;

Detail of PIO and Appellate Authority

Sr. No	Name of the PIO	Designation	Office Address	PIO's Jurisdiction
1.	Sh. R.S. Sipahiya	Joint Labour Commissioner	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, Shimla-1	For Labour Wing of Directorate
2.	Sh. Manoj Tomar	Deputy Director Employment	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, Shimla-1	For entire Employment Wing, Budget and Planning Section of Directorate.
3.	Sh. A.K. Sood	Deputy Director of Factories	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, Shimla-1	For District Shimla, Sirmour, Kinnaur, Bilaspur, Solan (except Baddi, Barotiwala and Nalagarh Industrial Area) & Factory Wing of Directorate.
4	Sh. R.K. Gupta	Superintendent Grade-I	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, Shimla-1	For Establishment and Accounts Wing of Directorate.
5.	Sh. Sudesh Kumar Dhiman	Deputy Director of Factories	Deputy Director of Factories, Una	For District Una, Chamba,Kangra,Mandi Hamirpur,Kullu,Lahaul & Spiti, and Baddi, Barotiwala, Nalagarh Industrial Area of District Solan for Factories.
6.	Smt. Nirmala Sharma	District Employment Officer	District Employment Exchange, Solan	For All Employment Exchanges of Solan District.
7.	Miss Vandana Vaidya	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Mandi	For All Employment Exchanges of Mandi District.
8.	Sh. Joginder Singh Patial	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Dharamshala	For All Employment Exchanges of Kangra District.
9.	Smt. Sangeeta Gupta	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Shimla	For All Employment Exchanges of Shimla District.
10	Sh.Ravinder Singh Rawat	Holding the charge of District Employment Officer	District Employment Exchange, Sirmour at Nahan	For All Employment Exchanges of Sirmour District.
11	Sh. Hari Ram	District Employment	District Employment	For All Employment

		Officer (Officiating)	Exchange, Bilsapur	Exchanges of Bilaspur District
12.	Sh. Anurag Sharma	Holding the additional charge of District Employment Officer	District Employment Exchange, Kullu	For All Employment Exchanges of Kullu District
13.	Sh. R.C. Katoch	District Employment Officer	District Employment Exchange, Una	For All Employment Exchanges of Una District.
14.	Sh. Yog Raj Dhiman	District Employment Officer	District Employment Exchange, Hamirpur	For All Employment Exchanges of Hamirpur District.
15.	Sh.Mohinder Singh	District Employment Officer(Officiating)	District Employment Exchange, Chamba	For All Employment Exchanges of Chamba District
15.	Sh. Sar Chander Negi	District Employment Officer(Officiating)	District Employment Exchange, Kinnaur at Reckong Peo	For All Employment Exchanges of Kinnaur District
17.	Sh. Sudarshan Singh	District Employment Officer(Officiating)	District Employment Exchange, Lahaul & Spiti at Keylong	For All District Employment Exchanges of District Lahaul & Spiti
18.	Sh. Munish Karol	Labour Officer	Labour Office, Solan,	For Labour Offices of Solan District(except Baddi, Barotiwala and Nalagarh Industrial Area of Solan District)
19.	Sh. T.R. Azad	Labour Officer	Labour Office, Rampur Bushehar	Rampur, Rohroo and Dodra Kwar Sub Division and Kumarsain Teh. of Distt. Shimla and also Sub Division Anni of Kullu District.
20.	Sh.R.P.Rana	Labour Officer	Labour Office, Mandi	For Labour Offices of Mandi District.
21.	Sh.D.S. Thakur	Labour Officer	Labour Office, Dharamshala	For Labour Offices of Kangra District.
22.	Sh.Pratap Verma	Labour Officer	Labour Office, Baddi	For Labour Office, Baddi (Nalagarh Tehsil and Barotiwala Industrial Area of Kasauli Tehsil of Solan District)
23.	Sh. Rajesh Pangania	Labour Officer	Labour Office, Chamba.	For Labour Offices of Chamba District
24.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer	Labour Office, Kullu	For Labour Offices of District Kullu (Except Sub Division Anni) and Udaipur and Keylong Sub Division of Lahaul and Spiti District .
25.	Sh. Padam Dev	Labour Officer	Labour Office, Nahan	For Labour Offices of Sirmour District.
26.	Sh. Raj Kumar	Labour Officer	Labour Office, Una	For Labour Offices of District Una.
27.	Sh. J.S. Bindra	Labour Officer	Labour Office, Shimla,	For Labour Offices of Shimla District except Rohru and Kumarsain Tehsil.
28.	Sh. R.P.Rana	Holding the additional Charge of Labour Officer, Bilaspur	Labour Office, Bilaspur	For Labour Offices of Bilaspur & Hamirpur Districts.
29.	Sh. T.R. Azad	Labour Officer	Labour Office, Kinnaur	For Labour Offices of District Kinnaur and Sub Division Kaza of Lahaul & Spiti District.

30	Sh. G.D. Kalta	Deputy Chief	University Employment Information and Guidance Bureau, Shimla-5 Summer Hill.	For University Employment Information&Guidance Bureau, Summer Hill, Shimla-5
31	Sh. Joginder Singh Patial	Deputy Chief,	University Employment Information and Guidance Bureau, Palampur. District Kangra	For University Employment Information&Guidance Bureau University, Palampur

B Name of the Appellate Authority.

Sh. J.P. Singh, I.A.S.	Labour Commissioner-cum-Director of Employment Shimla, H.P.	New Himrus Building, H.P. Shimla-1

..

Sd/-
Labour Commissioner-cum-
Director of Employment, H.P.

Endst.No. Shram(Prastha)11/05 Dated Shimla-171001
Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Additional Chief Secretary (Lab.& Emp.) to the Government of H.P.
2. The Principal Secretary (AR) to the Government of H.P. Shimla-171002.
3. The Director, Department of Information and Technology Govt. of H.P.
4. All Head of Departments in Himachal Pradesh.
4 All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
5 All Officers in the Directorate of Labour & Employment, H.P., Shimla-1
6 Deputy Chief, University Employment Information Guidance Bureau, Shimla and Palampur, H.P.
7 All Regional/District Employment Officers/ Labour Officers and Deputy Director of Factories (Una),H.P.
8 The Director Information and Public Relation, Himachal Pradesh.
9 The Controller, H.P. Govt. Printing Press, Shimla-5 for information and Publication in official Gazette.
10 All Employment Officers/Incharges of Sub Office Employment Exchanges in H.P.
11 All Labour Inspectors in H.P.
12 Notice Board of the Directorate.

Sd/-
Labour Commissioner-cum-
Director of Employment, H.P.

(XVII) Such other information may be prescribed and thereafter up date those publications every year:

Annual Administrative Report is printed every Financial Year and is also available on the Department's website, alongwith other information,at www himachal.gov.in /employment.